बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
**पशुपालन निदेशालय**
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

पत्रांक– 8 बजट (1) 17/2025.....120 (नि०).........आ० **दिनांक–** ....02 / 01 ...../2025

**प्रेषक**

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

**सेवा में**

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

**विषय :–** **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं0 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403–पशुपालन, 101– पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101 के अन्तर्गत कुल ₹1,83,93,600/– (एक करोड़ तिरासी लाख तिरानवे हजार छह सौ) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 2237 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 83 (नि0) आ0 दिनांक 20.09.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹ 1,83,93,600/– (एक करोड़ तिरासी लाख तिरानवे हजार छह सौ) मात्र आवंटित किये जाते हैः–

| क्र० सं० | विषय शीर्ष | विपत्र कोड– 02–2403001010101 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन (रूपये में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 13 01– कार्यालय व्यय | 3,41,59,400 | 1,83,93,600 | 5,25,53,000 |
| **योगः–** | | **3,41,59,400** | **1,83,93,600** | **5,25,53,000** |

(एक करोड़ तिरासी लाख तिरानवे हजार छह सौ) मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403–पशुपालन, 101– पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य, 0101– अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये राज्य स्कीम के अन्तर्गत ''पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना'' के तहत प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों में उपयोग हेतु कम्पयूटर सिस्टम (यू0पी0एस0 एवं प्रिंटर सहित) के क्रय हेतु दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025, पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 एवं पत्रांक 950/वि0 दिनांक 12.12.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

**दूरभाष संख्या: 0612-2215962 ई-मेल: dirahd-bih@nic.in वेबसाइट: state.bihar.gov.in/ahd**

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

**विश्वासभाजन**

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 17/2025......120(त्रे)..आ०/ पटना–15, दिनांक....02..../....01..../2026

**प्रतिलिपि**– उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या–टी०ए०–57–96–97–प०पा०–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि० (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु साधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु साधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु साधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा–09/योजना शाखा–10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु साधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।